

महाभारत काल में महिलाओं की स्थिति

अवध नारायण एवं निशा शर्मा

<https://doi.org/10.61410/had.v21i3.346>

सारांश :

महाभारत कालीन समाज मुख्य रूप से वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। परिवार समाज की महत्वपूर्ण ईकाई थी। पुरुष और महिला परिवार के दो मुख्य अंग थे। इसमें मुख्य रूप से महाभारत काल के दौरान समाज में महिलाओं की बदलती सामाजिक, शैक्षणिक और पारिवारिक स्थिति का विश्लेषण करना है। तत्कालीन समाज में शिक्षा का अधिकार मुख्य रूप से राजघरानों की महिलाओं तक सीमित हो गया और आम महिलाओं को घरेलू कार्यों तक सीमित कर दिया गया। महाभारत काल में बाल विवाह, बहुविवाह, बहुपत्नी प्रथा, बहुपति प्रथा, सती प्रथा और नियोग प्रथा का प्रचलन था।

सारांश का अंग्रेजी अनुवाद :

The society of Mahabharata period was mainly based on varna system. Family was an important unit of the society. Man and Woman were the two main parts of the family. It mainly aims to analyse the changing social, educational and familial status of women in the society during the Mahabharata era. In the society, the right to education was mainly limited to the women of royal families and common women were confined to the household work. During the Mahabharata period Child marriage, Polygamy, Polygyny, Polyandry, the practice of Sati and Niyoga system were prevalent.

मुख्य शब्द :- समाज, स्त्री, शिक्षा, विवाह, प्रथा।

मुख्य शब्द का अंग्रेजी अनुवाद :- Society, Woman, Education, Marriage, Practice

प्रस्तावना :

किसी भी समाज या सभ्यता को समझने के लिए महिलाओं के पद एवं स्थिति को जानना अत्यंत आवश्यक है। महाभारत काल के संदर्भ में समाज की स्थिति के वास्तविक इतिहास को जानने के लिए हमें मुख्य रूप से महिलाओं की स्थिति को जानना एवं समझना बहुत महत्वपूर्ण है। महाकाव्य काल का समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। पूर्ण समाज चार वर्णों में बँटा हुआ था। तत्कालीन समाज में परिवार को समाज की एक बहुत महत्वपूर्ण ईकाई माना जाता था। पुरुष एवं स्त्री को परिवार का महत्वपूर्ण अंग माना था। तत्कालीन समाज में महिलाओं का महत्वपूर्ण स्थान था परंतु धीरे-धीरे स्त्रियों की सामाजिक स्थिति असंतोषजनक होने लगी।

- शोध पर्यवेक्षक एवं सह-आचार्य : इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, डॉ० राममनोहर लोहिया अवध, विश्वविद्यालय, अयोध्या।
- शोधार्थिनी : इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, डॉ० राममनोहर लोहिया अवध, विश्वविद्यालय, अयोध्या।

अध्ययन का उद्देश्य :

महाभारत कालीन महिलाओं की स्थिति के अध्ययन से यह जानने में सहायता मिलेगी कि तत्कालीन समाज में महिलाओं का महत्वपूर्ण स्थान होने के बावजूद उनकी सामाजिक स्थिति में गिरावट कैसे आई? महिलाओं की स्थिति में यह बदलाव कैसे आया, इसकी जाँच-परख करना इस शोध पत्र का उद्देश्य है।

साहित्यावलोकन :

महाभारत कालीन समाज तथा महिलाओं की स्थिति पर अनेक विद्वानों ने महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना की है, जिनमें से कुछ इतिहासकारों की रचना का उल्लेख करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। पी. एन. मल्लिक द्वारा महाभारत एज इट वाज एंड इटज एवर शैल बी, डी. डी. कोसाम्बी द्वारा प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता, चिन्तामणि विनायक वैद्य द्वारा महाभारत मीमांसा, सुखमय भट्टाचार्य द्वारा महाभारतकालीन समाज, वनमाला भावलकर द्वारा महाभारत में नारी, नाथुलाल गुप्ता द्वारा महाभारत : एक समाजशास्त्रीय अनुशीलन, आर. सी. दत्त द्वारा दि हिस्ट्री ऑफ ऐन्शान्ट इंडिया नामक पुस्तकों पर उक्त विद्वानों ने महाभारतकालीन महिलाओं की स्थिति पर अपने-अपने विचार व्यक्त किए हैं। इनके अध्ययन में महिलाओं की स्थिति के संदर्भ में कुछ हिस्सों का छूट जाना स्वाभाविक है। प्रस्तुत शोध पत्र में महाभारत काल में महिलाओं की स्थिति का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है।

मुख्य पाठ :

प्राचीन समय में नारियों की सामाजिक स्थिति लगभग पुरुषों के बराबर ही थी। स्त्री को पुरुष की जीवनसंगिनी माना जाता था। स्त्रियाँ भी पुरुषों के समान उच्च शिक्षा अर्जित करती थी। स्त्रियाँ सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक कार्यों में पुरुषों का हाथ बँटाती थी। यज्ञ के अनुष्ठानों में पुरुषों की मदद करती थी। परंतु इसके पश्चात् उनकी सामाजिक स्थिति में निरंतर गिरावट आने लगी जिसके प्रमुख कारण निम्नलिखित थे—

- स्त्रियों की शिक्षा में गिरावट आना।
- पितृसत्तात्मक समाज में बेटी को बोज़ के रूप में देखना।
- लड़कियों का बाल विवाह कर देना।
- महिलाओं को पूर्ण रूप से पुरुष पर निर्भर कर देना।
- घर में भी पुरुषों की सत्ता में बढ़ावा होना।
- सती प्रथा एवं नियोग प्रथा का प्रचलन।

प्राचीन काल में लगभग सभी पुरुष प्रधान समाजों में बेटी का जन्म एक अप्रिय घटना माना जाता था।¹ लगभग हर जगह बेटे को बेटी से ज्यादा अहमियत दी जाती थी। बेटे को परिवार की स्थायी आर्थिक संपत्ति समझा जाता था जबकि बेटी को एक खर्च के रूप में देखा जाता था क्योंकि बेटी के विवाह में उसे बहुत सी भेंट एवं उपहार दिए जाते थे। तत्कालीन समाज में पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ एवं अनुष्ठान किए जाते थे। महाभारत काल में युद्धों में पुत्रों की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण थी जबकि बेटी

का युद्ध में कोई मूल्य नहीं था। हालाँकि यह सच है कि महिलाओं का अप्रत्यक्ष रूप से सैन्य मूल्य होता था। बेटे को जन्म देकर वे अपने समाज की सैन्य शक्ति और क्षमता में योगदान देती थी।²

भले ही प्राचीन काल में महिलाएँ पुरुषों के समान शिक्षा पाती थी, लेकिन बाद में इस स्थिति में बदलाव होने लगा। महाभारत काल में राजघरानों की कुछ महिलाएँ ही शिक्षा प्राप्त करती थी। महाभारत के अनुसार पांडवों की माँ कुंती अथर्ववेद की अच्छी जानकारी रखती थी।³ परंतु शिक्षा का अधिकार केवल राजघरानों की महिलाओं तक सीमित हो गया था। शूद्रों की तरह महिलाओं के लिए भी यह नियम बनाया जाने लगा कि उनका उपनयन नहीं होना चाहिए और उनका काम केवल घर के अंदर तक सीमित कर दिया गया।

पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए शादी की उम्र कम रखी गई थी। महिलाओं की शादी सोलह साल की उम्र में हो जानी चाहिए थी, जबकि पुरुषों की शादी की उम्र पच्चीस साल तय की गई थी।⁴ महाकाव्यों और बौद्ध साहित्य के साक्ष्य यह भी बताते हैं कि लगभग 400 ईसा पूर्व तक सभ्य परिवारों में दुल्हनों की उम्र विवाह के समय लगभग सोलह वर्ष होती थी। कुंती और द्रौपदी अपनी शादी के समय पूरी तरह से वयस्क थी और उनका विवाह तुरंत ही सम्पन्न हुआ था।⁵ लड़कियों के लिए कम उम्र में विवाह की आवश्यकता पर जोर देने का यह कारण दिया गया कि एक अविवाहित पुरुष की तुलना में एक अविवाहित स्त्री के रास्ते में अधिक खतरे होते हैं। महाकाव्य काल के अंत की ओर बाल विवाह की शुरुआत हो गई थी। स्त्रियों को अपने विवाह के मामले में बहुत स्वतंत्रता नहीं दी जाती थी। हालाँकि, राजघरानों के लिए स्वयंवर की प्रथा मौजूद थी। यह द्रौपदी के स्वयंवर से दर्शाया गया है।⁶

राजघरानों में एक से अधिक विवाह (बहुविवाह) करने का रिवाज था। बहुपत्नी प्रथा (एक से अधिक पत्नी होना) और बहुपति प्रथा (एक से अधिक पति होना) दोनों का चलन था।⁷ आमतौर पर समाज में एक ही पत्नी का नियम सबसे अच्छा माना जाता था। फिर भी समाज में बहुपत्नी प्रथा प्रचलित थी। बहुपत्नी प्रथा के अनुसार पुरुष अपनी पहली पत्नी के अलावा दूसरी पत्नी भी रख सकता था। वैसे एक से अधिक पत्नी रखने का यह रिवाज राजाओं और अमीर लोगों में ज्यादा देखने को मिलता था। धर्मशास्त्रों में राजाओं की आम तौर पर चार तरह की पत्नियों के बारे में बताया गया है—‘महिषी’ (मुख्य रानी) ‘परिवृक्ता’ (प्रभावी), ‘वावाता’ (राजा की सबसे प्रिय पत्नी) और पालागली (अत्यंत निम्न कुल की कन्या)।⁸ ऋग्वेद से भी पता चलता है कि उस काल में भी लोग एक से अधिक पत्नियाँ रखते थे।⁹ ऐतरेय ब्राह्मण में लिखा है कि एक पुरुष की कई पत्नियाँ हो सकती हैं, लेकिन एक स्त्री के कई पति नहीं हो सकते। उदाहरण के तौर पर पांडु की कुंती और माद्री दो पत्नियाँ थी। श्रीकृष्ण की सोलह हजार पत्नियाँ बताई गई हैं।¹⁰ भीम की द्रौपदी के अलावा हिडिम्बा नाम की भी एक पत्नी थी। अर्जुन की पत्नियाँ द्रौपदी, सुभद्रा, चित्रांगदा एवं उलूपी थी। दुष्यंत की भी कई रानियाँ थी।¹¹ महाभारत पढ़ने से पता चलता है कि उस समय एक से ज्यादा पत्नी रखने वाले पुरुषों की संख्या काफी अधिक थी। संस्कृत साहित्य से जानकारी मिलती है कि राजाओं की अक्सर एक से अधिक पत्नियाँ होती थीं। महाभारत के साथ-साथ रामायण में भी बहुपत्नी प्रथा के उदाहरण देखने को मिलते हैं। राजा दशरथ की कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा नाम की तीन पत्नियाँ थीं।¹² राजाओं के अलावा उस काल के आम लोगों में भी एक से अधिक पत्नियाँ रखने का रिवाज था।

परंतु बहुपति प्रथा का चलन बहुपत्नी प्रथा के मुकाबले न के बराबर था। बहुपति प्रथा के उदाहरण के तौर पर केवल द्रौपदी का विवाह पांडवों से दर्शाया गया है। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि विधवा विवाह और नियोग प्रथा जैसे संबंधों को ब्राह्मण संस्कृति में जगह देने के बाद भी, एक स्त्री के कई पति होने (बहुपतित्व) को इस संस्कृति में कभी सम्मानजनक नहीं माना गया।¹³ यह बात इससे भी साबित होती है कि वैदिक साहित्य में बहुपति विवाह का एक भी उदाहरण नहीं मिलता है। महाभारत में भी बहुपति प्रथा का विरोध पांचाल के राजा द्रुपद और कौरवों की तरफ से कर्ण ने किया था।¹⁴ द्रौपदी को पाँच पांडवों से विवाह करने पर बहुत अपमानित भी होना पड़ा था। हालाँकि बहुविवाह का विरोध करने के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं जिससे यह पता चलता है कि समाज में बहुविवाह लोगों के लिए आम बात थी।

स्मृतियों में बताए गए विवाह के आठ रूप प्रसिद्ध हैं। राक्षस विवाह में महिलाओं को एक वस्तु या इनाम के रूप में दर्शाया गया है। इस विवाह में महिलाओं को युद्ध की जीत का इनाम माना जाता था। इस विवाह में विजेता दुल्हन को छीनकर ले जाता था और उससे शादी कर लेता था। इस विवाह में महिलाओं की स्वीकृति को नजरअंदाज किया जाता था। महाभारत से पता चलता है कि भीष्म ने युद्ध में काशी के राजा को हराया और उनकी पुत्री अंबा को अपने भाई विचित्रवीर्य की दुल्हन के रूप में ले आए जबकि अंबा साल्व नरेश से प्रेम करती थी।¹⁵ इससे यह ज्ञात होता है कि अंबा से उसकी मर्जी नहीं पूछी गई और बिना उनकी मर्जी जाने उनका हरण कर लिया गया। महाभारत में असुर विवाह (कन्या शुल्क देकर विवाह) के भी कुछ मामले पाए गए हैं। महाभारत में हम पाते हैं कि गांधारी और माद्री के विवाह के समय उनके अभिभावकों को भारी कन्या-शुल्क देना पड़ा था।¹⁶ यह भी बताया जाता है कि कन्याओं को एक तरह से बिक्री की वस्तु के रूप में प्रदर्शित किया जाता था और सबसे अधिक शुल्क देने वाले को कन्या दे दी जाती थी।¹⁷ गांधारी और माद्री को भारी उपहार देकर प्राप्त किया गया था। जो लोग इसका पालन करते थे, वे जानते थे कि वे जो कर रहे हैं वह प्रशंसनीय नहीं है। यह बात उस झिझक से साफ हो जाती है जो शल्य ने भीष्म को यह बताते समय महसूस की थी कि यदि वे उनकी बहन माद्री का विवाह पांडु से कराना चाहते हैं, तो उन्हें अच्छा वधू-मूल्य देना होगा।¹⁸

अब घर के अंदर भी पुरुष ने अपना पूरा अधिकार कर लिया। महिला को उसके ऊँचे पद से हटा दिया गया और पाबंदियों में बाँध दिया गया। वह पुरुष की इच्छाएँ पूरी करने और बच्चे पैदा करने की एक मशीन बनकर रह गई।¹⁹ हिडिंबा भी भीम के साथ तब तक रही जब तक कि उनका घटोत्कच नाम का बेटा नहीं हो गया।²⁰ वही चित्रांगदा और उलूपी का अर्जुन के साथ संबंध केवल बच्चे पैदा होने तक ही सीमित था। महिलाएँ अब पूर्ण रूप से पुरुष पर निर्भर हो गईं। महाभारत में कहा गया है कि पति अपनी पत्नी से जो बात कहे, उसका पालन करना पत्नी का धर्म है, चाहे वह बात धर्म के हिसाब से सही हो या गलत। महाभारत के अनुसार जब गांधारी को पता चला कि उसका पति धृतराष्ट्र अंधा है, तो उसने अपनी आँखों पर भी पट्टी बाँधकर एक पतिव्रता स्त्री का उदाहरण पेश किया।²¹ पत्नी को पति की संपत्ति समझा जाने लगा। उदाहरण के रूप में युधिष्ठिर ने जुएँ में खुद को तथा अपने भाईयों को हारने के बाद द्रौपदी को अपनी संपत्ति समझकर दांव पर लगा दिया था।²²

तत्कालीन समय में सती प्रथा के कुछ गिने चुने संदर्भ मिलने शुरू होते हैं। महाभारत में पांडु के साथ माद्री के सती होने के प्रमाण मिलते हैं।²³ तत्कालीन समाज में नियोग प्रथा काफी आम थी।

महाभारत के कई महान नायक नियोग प्रथा द्वारा ही उत्पन्न हुए। विचित्रवीर्य की मृत्यु के पश्चात् कुरु वंश को बचाने के लिए उनकी पत्नियों अंबिका और अंबालिका ने नियोग प्रथा द्वारा क्रमशः धृतराष्ट्र और पांडु को जन्म दिया।²⁴ इस प्रथा में महिलाएँ केवल वंश एवं उत्तराधिकार सुरक्षित करने के लिए एक साधन मात्र थी।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि कुल मिलाकर महाभारत काल में महिलाओं की सामाजिक स्थिति संतोषजनक नहीं थी। राजवंश की महिलाओं को ही शिक्षा का अधिकार था परंतु धीरे-धीरे शिक्षा का हास हो रहा था। समाज में बहुविवाह, बहुपत्नी प्रथा, बहुपति प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा एवं नियोग प्रथा का प्रचलन था। महिलाएँ पूर्ण रूप से पुरुष पर निर्भर हो गई थी। तत्कालीन समाज में महिलाओं को पतिव्रता पत्नी और माँ के रूप में आदर्श माना जाता था। पुत्र प्राप्ति के लिए महिलाओं की भूमिका अहम समझी जाती थी। राजवंश की महिलाएँ यज्ञ एवं धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेती थी। स्त्री को पुरुष की जीवनसंगिनी माना जाता था। परंतु धीरे-धीरे समाज के सार्वजनिक जीवन से उनका रिश्ता खत्म होने लगा तथा वह केवल घर तक ही सीमित हो गई।

संदर्भ

- 1- अल्तेकर, ए. एस., दि पोजीशन ऑफ वीमन इन हिंदू सिविलाइजेशन, बनारस, 1938, पृ. 3।
- 2- वही, पृ. 3-4।
- 3- विद्यालंकार, सत्यकेतु, प्राचीन भारत का धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन, दिल्ली, 1975, पृ. 207।
- 4- वही, पृ. 211।
- 5- अल्तेकर, ए. एस., दि पोजीशन ऑफ वीमन इन हिंदू सिविलाइजेशन, बनारस, 1938, पृ. 62।
- 6- महाभारत, आदि पर्व, 176।
- 7- महाजन, वी. डी., ऐन्शन्ट इंडिया, दिल्ली, 1993, पृ. 153।
- 8- शतपथ ब्राह्मण, 5.2.1.10।
- 9- ऋग्वेद, 10.145
- 10- महाभारत, आदिपर्व 111.8-9, 112.18 मौसलपर्व, 5.6। महाभारत के आदि पर्व एवं मौसल पर्व में श्री कृष्ण की 16 हजार पत्नियों के होने का संदर्भ मिलता है।
- 11- अभिज्ञान शाकुन्तलम्, अंक 3।
- 12- रामायण, 2.20. 38-55।
- 13- नेगी, डॉ. सुरेन्द्रसिंह, महाभारत समाज संस्कृति दर्शन, गाजियाबाद, पृ. 36।
- 14- वही, पृ. 36।
- 15- महाभारत, आदि पर्व, 102।
- 16- अल्तेकर, ए. एस., दि पोजीशन ऑफ वीमन इन हिंदू सिविलाइजेशन, बनारस, 1938, पृ. 47।
- 17- महाजन, वी. डी., ऐन्शन्ट इंडिया, दिल्ली, 1993, पृ. 153।
- 18- महाभारत, आदि पर्व, 113।
- 19- डांगे, श्रीपाद अमृत, भारत, दिल्ली, पृ. 169।
- 20- महाभारत, आदि पर्व, 142-143।

- 21- विद्यालंकार, सत्यकेतु, प्राचीन भारत का धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन, दिल्ली, 1975, पृ. 215।
 - 22- महाभारत, सभा पर्व, 52–72।
 - 23- महाजन, वी. डी., ऐन्थान्ट इंडिया, दिल्ली, 1993, पृ. 153।
 - 24- महाभारत, आदि पर्व, 105–106।
-